न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 16/2015

1. देवीलाल पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 23 बड़ोपल रोड़ सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
2. प्रभुराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी वार्ड नं. 23 बड़ोपल रोड़ सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
3. पतराम पुत्र हुणताराम जाति जाट सहारण निवासी किशनपुरा नई आबादी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. मुखराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी किशनपुरा नई आबादी सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

--- अपीलार्थीगण

बनाम

1. गोमददास पुत्र फूसादास
2. सुखराम पुत्र फूसादास
3. पन्नाराम पुत्र लेखराम
4. रतनलाल पुत्र चोलदास
5. ओमप्रकाश पुत्र चोलदास
6. साजनदास पुत्र लाधुदास
7. काशीराम पुत्र लाधुदास –मृतक

7/1 रजीराम पुत्र काशीराम

7/2 बिशनदास पुत्र काशीराम

8. श्रीराम पुत्र हिमताराम

} जाति बैरागी निवासीगण किशनपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

9. राज. सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़।

--रेस्पोडेन्टान

31/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ
दिनांक 08.12.2014

उपस्थितिः–

श्री मूलचन्द शर्मा , अभिभाषक अपीलांट।
श्री भागीरथ बिश्नोई अभिभाषक रेस्पो. सं0 1 से 4, 7/2 व 8
श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय **दिनांक :– 31.10.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो सं. 1 से 8 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 21 का प्रा.पत्र पेश कर वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वे रोही किशनपुरा के ख.न. 47 के 3.314 है. (13.02बीघा) भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे एवं प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें ।

अप्रार्थी सं. 1 से 4 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 08.12.2014 को प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार कर लिया एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी । जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

31/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया विवादित भूमि मन्दिर की है एवं अपीलांट विवादित भूमि में हस्तक्षेप नहीं करते है। अपीलार्थीगण एवं रेस्पो. दावा व प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सकते। 188 आरटीए का वाद केवल खातेदार ही पेश कर सकता है। अपीलार्थीगण एवं रेस्पो. का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। अधी.न्यायालय ने बिना किसी कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधि. की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आरआरडी 2002 पेज 252, आर.आर.टी 2002(2) पेज 801, आरआरटी 2014(1) पेज 482 , आरआरटी 2013(2) पेज 878 की नजीरे पेश की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण रेस्पो. ने अधी.न्यायालय में वाद एवं धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र पेश । प्रार्थना का जबाव अपीलार्थीगण ने अधी.न्यायालय में पेश किया । अधी.न्यायालय ने मामला रेस्पो. के पक्ष में मानते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील खारिज की जावें ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 08.12.2014 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें वादग्रस्त कृषि भूमि जो मन्दिर माफी की भूमि जाहिर किया है बाबत अपीलांट रेस्पो. के कब्जे में दखलंदाजी नहीं करें का आदेश जारी किया है जो निरस्त योग्य है क्योंकि मंदिर शाश्वत नाबालिग है उसकी भूमि के सम्बन्ध में इस प्रकार का आदेश जारी करना विधि विरूद्ध है । अतः अधी.न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।.

31/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली पर उपलबध रेकार्ड अनुसार विवादित आराजी आराजी मन्दिर माफी की कृषि भूमि होना प्रमाणित है तथा यह विधि का मान्य स्थापित सिद्धान्त है कि मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग है जिसकी कृषि भूमि की रक्षा सुरक्षा संधारण या तो देवस्थान विभाग स्वयं करे या उसके द्वारा नामित संस्था ट्रस्ट , कमेटी करे या फिर मूर्ति का Next friend करे । उपरोक्त रेकार्ड पर आने के पश्चात अस्थाई निषेधाज्ञा के guiding principles यथा "1. प्रथम दृष्टया केस 2 अपरिमित क्षति एवं सुविधा का सन्तुलन के para meters विवेचित होकर अधी.न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाना अपेक्षित था जो नहीं किया है।

अतः अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.12.2014 निरस्त योग्य होकर अपील स्वीकार योग्य है जिसका स्वाभाविक Next प्रकिया में अगर कब्जा अपीलांट के पास है तो अस्थाई निषेधाज्ञा के para meter अपीलांट के पक्ष में हो सकते है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अगर कब्जा अपीलांट का है तो वाद के निर्णय तक अपीलांट को मूर्ति मन्दिर का Next friend माना जाकर कब्जा मन्दिर मूर्ति के पास ही रहे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

31/10/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर